269 Re. Lawful Indian Citizens [20 DEC. 1996] Facing

IB. Instead of taking any action against him, he was quietly asked to go on leave and resign. This officer was caught while passing on very sensitive information to the head of the intelligence bureau of a particular foreign Mission. I am saying this because there is no response from the Government. Madam, this issue was raised earlier. Till today there is no response. Today is the last day of the Session. No Minister comes and says anything. What is the use of raising issues if we are just talking here and none of the Ministers even bothers to say a word in response? 1 am appealing to you as Chairperson earlier also there were directions from the Chair to the Government that some kind of response should come from the Government. He has raised such an important issue. Today we adjourn and nobody knows what has been done and what the result is. People are being taken to jail. Let the Government at least come and say that it will be looked into, whether it is true or false. The Government should tell us about the action that they are taking. Let somebody from the Government respond.

KE. LAWFUL INDIAN CITIZENS FAC ING HARASSMENT BY BOMBAY POLICE Contd.

SHRIADHIKSHIRODKAR(Maharashtra):Madam, ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): But, your name is not there in the list before me. ... (Interruptions)...

SHRI ADHIK SHIRODKAR: I was told by the Deputy Chairman that I would be allowed to speak ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Do you want to associate yourself with this issue? ... (*Interruptions*)...

Harassment by Bombay 270 Police.

SHRI ADHIK SHIRODKAR (Maharashtra): I want to associate myself with it. but with a statement. Madam, a Central Law has been enacted as to how a foreigner can enter India and how long he can stay. Anybody who violates this provision is deemed to have committed an offence and is liable to be prosecuted, incarcerated in jail and deported. These provisions are in the interest of national sovereignty and integrity. If at all we are cutting across party politics, it is necessary to identify them. It is the bounden duty of the administrative machinery in each State to take action. If at all there are excesses, it would be proper to bring it to the notice of the Government concerned. Rather than generalising it, it would be proper to bring the specific instances to the notice of the Government concerned. If it is Maharashtra, I can be given this. I will pass it on. Let us not make generalisations which go contrary ...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Nilotpal Basu, please sit down.

SHRI ADHIK SHIRODKAR: Let us not make generalisations which go contrary to the very integrity and sovereignty of this nation.

Thank you. Madam.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (बिहार): मैडम...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कपला सिन्हा): आप बैठिए।...(**व्यवधान)**...

SHRI MD. SALIM: We have a law to detect foreigners. (*Interruptions*) It should be done according to that law. ...(*Interruptions*), We have a well-formu-lated law. (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बेठ जहए, बहुत हो गया है। ...(व्यवधान)... बैठ जहए। ...(व्यवधान)..

No more association. No more discussion. (*Interruptions*)

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI

(Uttar Pradesh): Madam, I want to say something. (*Interruptions*)

271 Re. Need to Hold U.P.S.C. Examinations

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Madam, let the Government respond. (*Interruptions*)

श्री वसीम अहमदः यह बहुत गलत है, सरकार को इस पर बहस करनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

RE: NEED TO HOLD U.P.S.C. EXAMI-NATIONS IN ALL INDIAN LANGUAGES

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश)ः महोदया, भारत की संसद के द्वारा पारित किए गए एक संकल्प को याद दिलाने के लिए भारत के सर्वोच्च सदन में मैं खडा हुआ हं। 18 जनवरी, 1968 को भारत को संसद ने एक संकल्प पारित किया था कि युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संचालित परीक्षाओं में माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फिर 11 जनवरी, 1991 को भी भारत की संसद ने अपने उस संकल्प को दोहराने का काम किया। लेकिन आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी भारत की संसद ने जो संकल्प लिया था इस संकल्प पर अमल नहीं किया जा रहा है, इसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, जब कि राष्ट्रपति भवन से भी दो-दो बार ऐसे आदेश किए जा चुके हैं कि संसद ने जो संकल्प पारित किया है उस संकल्प को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में माध्यम भारतीय भाषाएं होना चाहिए। इस मुंद को लेकर, इस मांग को लेकर अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के द्वारा आठ वर्षों से लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। अब यह आंदोलन धीरे-धीरे मोमेंटम, गति प्राप्त कर रहा है। लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे हम संसद में बैठे हए सभी लोग एकदम बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठे हुए हों। इस पर हमें जो ध्यान देना चाहिए, इसका जो सज्ञान लेना चाहिए , अपने संकल्प का, वह हम नहीं ले पा रहे हैं। यह कहा जाता है कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। जब तक लोग अंग्रेजी नहीं जानेंगे तब तक विश्व स्तर पर भारत अपनी पहचान कैसे बना पाएगा। अंतर्राष्ठीय स्पर्धा में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत अपने आप को कैसे खड़ा कर पाएगा। मैं इस तर्क को देने वाले लोगों से पूछना चाहता हं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है लेकिन विश्व को कौन सा ऐसा देश है जिसने अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते अपने देश को राष्ट्रीय भाषा. अपने देश की राजभाषा के रूप में मान्यता देने का काम किया है। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं मिलेगा। कुछ लोगों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजी नहीं रहेगी तो भारत टूट जाएगा। भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। मैं कहता हूं यदि अंग्रेजी के न रहने से भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और अंग्रेजी-के रहने से भारत की अखंडता सशक्त हो जाएगी तो क्यों नहीं अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं। सच बात यह है कि आज भारी मन से मैं यह सवाल लेकर इस सदन में बोलने के लिए खंडा हआ हं।

आज इस आजाद भारत में 50 वर्ष हो गए हमको आजादी को प्राप्त किए हुए फिर भी हम भाषा के प्रश्न को लेकर खड़े हैं। हमारी भाषा में, हमारी जवान में हमको परीक्षा देने की अंनुमति प्राप्त नहीं होती। हम सवाल को लेकर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सचमुच में भारतीय भाषाओं में जो परीक्षा देने की अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है यह हम सब के लिए एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इससे बड़े शर्म की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है।

मैं याद दिलाना चाहूंगा मैडम इस संसद को भी कि जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय हमने विदेशी वस्त्रों की होलो जलाई थी..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपका समय समाप्त हो चुका है। समाप्त करें।

श्री राजनाथ सिंह: संक्षिप्त कर रहा हूं।

उस समय हमने विदेशी सामानों का अहिष्कार किया था। इसलिए नहीं किया था कि हमको विदेशी वस्त्रों से नफरत थी इसलिए नहीं किया था कि हमको विदेशी सामानों से नफरत थी बल्कि हमने इसलिए किया था कि ये विदेशी वस्त्र हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों के हाथों को बेरोजगार कर देने का काम करते थे। उनके हाथों को काम करने का अवसर नहीं मिल पाता था। वैसे ही अंग्रेजी भाषा का मैं इस संसद में खड़े होकर विरोध करना चाहता हूं क्योंकि इस अंग्रेजी भाषा ने हमारे देश के 98 फीसदी लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करने का काम किया है। हमारे समाज को दो वर्गों में बांटने का यह अंग्रेजी भाषा काम कर रही है।

इसलिए मैडम, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि एक बार 350 सांसदों ने एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तल्कालीन प्रधान मंत्रो श्री राजीव गांधी को और एक बार 135 सांसदों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तल्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो को देने का काम किया था और